अध्याय–III

निगमित अभिशासन

यह अध्याय सरकारी कंपनियों द्वारा निगमित अभिशासन सिद्धांतों के पालन से संबंधित है। सरकारी कंपनियों के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों/महिला निदेशकों की नियुक्ति, निदेशक मंडल एवं उसके तहत गठित समितियों की बैठकों में भाग लेने में उनकी उपस्थिति, निदेशक मंडल की बैठकें आयोजित करने इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है।

परिचय

3.1 निगमित अभिशासन ग्राहको, आपूर्तिकर्ताओ, कर्मचारियों, अंशधारकों, बैंकरों एवं वृहद् रूप से समाज को सम्मिलित करते हुये अपने विभिन्न हितधारको के विश्वास के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। निगमित अभिशासन के नियमों, प्रथाओं एवं प्रक्रियाओ की प्रणाली से कंपनी निर्देशित एवं नियंत्रित होती है। साथ ही, किसी भी राजकीय उपक्रम का निगमित अभिशासन का ढांचा पारदर्शिता, पूर्ण प्रकटन, स्वतंत्र निगरानी एवं सभी के लिए निष्पक्षता जैसे चार स्तंभों पर निर्भर करता है। निगमित अभिशासन सिद्धांतों का पालन व्यवसाय में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाता है एवं हितधारकों का विश्वास बढ़ाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधान

3.2 कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) को कंपनी अधिनियम, 1956 के स्थान पर 29 अगस्त 2013 को अधिनियमित किया गया था। इसके अतिरिक्त, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने प्रबंधन व प्रशासन, निदेशकों की नियुक्ति व योग्यता, निदेशक मंडल की बैठकों तथा इसकी शक्तियों एवं लेखों पर कंपनी नियम 2014 को भी अधिसूचित (31 मार्च 2014) किया है। कंपनी नियमों के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 निगमित अभिशासन के लिए एक सुदृढ ढांचा प्रदान करता है। जिसमे अन्य बातों के साथ यह प्रावधान है कि:

स्वतंत्र निदेशकों के लिए योग्यता के साथ पेशेवर आचरण हेतु कर्तव्य एवं दिशा-निर्देश {धारा 149 (6) सपठित कंपनी नियम, 2014 (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) का नियम 5}।

निर्धारित कंपनियों के निदेशक मंडल में एक महिला निदेशक की अनिवार्य नियुक्ति {कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (1)}

विशिष्ट समितियों जैसे लेखापरीक्षा समिति {कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 (1)} नामांकन एव पारिश्रमिक समिति {कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 (1)} एवं हितधारक संबंध समिति {कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 (5)} की अनिवार्य स्थापना

प्रत्येक वर्ष निदेशक मंडल की न्यूनतम चार बैठकों का आयोजन, इस प्रकार से होना चाहिए कि बोर्ड की लगातार दो बैठकों के मध्य 120 दिन से अधिक का समयान्तराल न हो।{कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 173 (1)}।

निगमित अभिशासन पर सेबी/बीपीई के दिशानिर्देश

3.3 चूंकि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (राजकीय उपक्रमों) में से कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है, निगमित अभिशासन पर सेबी के दिशानिर्देश राजकीय उपक्रमों पर लागू नहीं होते है। साथ ही, राजस्थान सरकार (जीओआर) के राजकीय उपक्रम ब्यूरो (बीपीई) ने भी निगमित अभिशासन के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किये है।

निगमित अभिशासन के प्रावधानों की अनुपालना की समीक्षा

3.4 31 मार्च, 2021 को, भारत के सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में 42 राजकीय उपक्रम (38 सरकारी कंपनियां एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियां) थी।

लेखापरीक्षा समीक्षा के उद्देश्य से निगमित अभिशासन पर अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानों के आधार पर एक मूल्यांकन प्रणाली तैयार की गई थी। समीक्षा में राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, जो समापन अवस्था में है, के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन समस्त सरकारी कंपनियों को सम्मिलित किया गया है।

निदेशक मंडल का गठन

3.5 बोर्ड निर्वाचित या नियुक्त व्यक्तियों का एक सामूहिक निकाय है जो निगमित प्रबंधन के लिए नीतियों को निर्धारित करने एवं संगठन की गतिविधियों का निरीक्षण करने हेतु नियमित अंतराल पर मिलता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(10) के अनुसार, एक कंपनी के

संबंध में 'निदेशक मंडल' अथवा 'बोर्ड' से आशय कंपनी के निदेशको के सामूहिक निकाय से है।

स्वतंत्र निदेशक

3.6 बोर्ड में स्वतंत्र प्रतिनिधियों, जो प्रबंधन के निर्णयों पर एक स्वतंत्र दृष्टिकोण रखने में सक्षम हैं, की उपस्थिति को शेयरधारकों एवं अन्य हितधारकों के हितों की सुरक्षा के संबंध में व्यापक रूप से एक साधन माना जाता है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (6) अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करती है कि किसी कंपनी के संबंध में एक स्वतंत्र निदेशक से आशय प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या नामित निदेशक के अलावा एक निदेशक से है एवं जो सत्यनिष्ठ व्यक्ति है तथा प्रासंगिक विशेषज्ञता व अनुभव रखता है। इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशक न तो स्वयं प्रवर्तक होना चाहिए एवं न ही कंपनी के प्रवर्तकों/निदेशकों या उसकी होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी से संबंधित होना चाहिए। स्वतंत्र निदेशक का स्वयं या उसके रिश्तेदारों का कंपनी, या उसकी सहायक कंपनी, या उसकी होल्डिंग या सहयोगी कंपनी के साथ मौद्रिक सीमा से अधिक तथा इस खंड में निर्धारित अवधि के दौरान कोई आर्थिक संबंध/लेनदेन (स्वतंत्र निदेशक के पारिश्रमिक के अलावा) नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र निदेशक स्वयं या उनके रिश्तेदार इस खंड में निर्धारित समय सीमा के दौरान कंपनी या उसकी होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी के साथ प्रमुख प्रबंधकीय पद या अन्य कोई निर्धारित संबंध अर्थात कर्मचारी, लेखापरीक्षक, कंपनी सचिव आदि नहीं रखेंगे।

अधिनियम 2013 की धारा 149 (4) में प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी में निदेशकों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। साथ ही, कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति व योग्यता) नियम 2014 के नियम 4 के अनुसार (i) **दस करोड़ रुपये या उससे अधिक की प्रदत्त शेयर पूंजी अथवा** (ii) **एक सौ करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक का टर्नओवर; अथवा** (iii) **समग्र रूप से पचास करोड़ रुपये से अधिक बकाया ऋण, ऋणपत्रों एवं जमा रखने वाली सार्वजनिक कंपनियो में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कम से कम दो निदेशक होने चाहिए।**

साथ ही, इस नियम के अन्तर्गत आने वाली कंपनी को लेखापरीक्षा समिति का गठन करना भी आवश्यक है। ऐसी लेखापरीक्षा समिति में न्यूनतम तीन निदेशक होंगे, जिसमें अधिनियम 2013 की धारा 177 (2) के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत होगा।

नियम में आगे यह प्रावधान है कि यदि कोई कंपनी लगातार तीन वर्षो तक तीन शर्तो में से कोई भी शर्त पूर्ण नहीं करती है, इसे इन प्रावधानों का अनुपालना करने की तब तक आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि यह इनमे से किसी शर्त को पूर्ण नहीं करती है।

इसके अतिरिक्त, नियम 4(2) के अनुसार, गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी के तीन वर्ग **अर्थात एक संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अथवा एक निष्क्रिय कंपनी को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है।**

लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिनियम 2013 के प्रावधानों एवं उपरोक्त वर्णित नियम 4 के अनुसार, वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 41 राजकीय उपक्रमों में से 26 राजकीय उपक्रमों को, जैसा कि **अनुबंध 3.1** में दर्शाया गया है, स्वतंत्र निदेशको (आईडी) की नियुक्ति किया जाना आवश्यक था। निदेशक मंडल (बीओडी) की संरचना की समीक्षा के आधार पर इन राजकीय उपक्रमों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की एक सारांशित स्थिति **तालिका 3.1** में दी गई है:

तालिका 3.1 स्वतंत्र निदेशको (आईडी) की नियुक्ति की स्थिति

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2021 को
आईडी की नियुक्ति की आवश्यकता रखने वाले राजकीय उपक्रमों की संख्या	26	26
आईडी की आवश्यक संख्या रखने वाले राजकीय उपक्रमों की संख्या	5	6
आईडी की आवश्यक संख्या नहीं रखने वाले राजकीय उपक्रमों की संख्या	4	2
कोई आईडी नहीं रखने वाले राजकीय उपक्रमों की संख्या	17	18

स्रोत :राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

31 मार्च 2020 एवं 31 मार्च 2021 को जिन राजकीय उपक्रमों के पास कोई आईडी नहीं थे, उनमें से एक राजकीय उपक्रम यथा राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (आरएसआईसीएल) 2017-18 के दौरान इसके टर्नओवर (₹ 136.06 करोड़) को देखते हुए 2018-19 से 2020-21 के दौरान अपने बीओडी में आईडी नियुक्त करने के लिए उत्तरदायी था जबकि शेष राजकीय उपक्रम कंपनी नियम, 2014 के नियम 4 (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) के तहत निर्धारित शर्तों को लगातार पूर्ण करने के कारण आईडी नियुक्त करने के लिए उत्तरदायी थे।

अनुबंध 3.1 से यह देखा जा सकता है कि दो राजकीय उपक्रम[56], जिनके पास 31 मार्च 2020 को एक आईडी था, ने अगस्त 2020 में गत आईडी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 31 मार्च 2021 तक नई आईडी की नियुक्ति नहीं की थी। यद्यपि राजकीय उपक्रमों, जिनके पास आवश्यक संख्या में आईडी नहीं थे, की संख्या में कमी आई थी परन्तु 31 मार्च 2020 को 17 की तुलना में 31 मार्च 2021 को कोई आईडी नहीं रखने वाले राजकीय उपक्रमों की संख्या बढ़कर 18 हो गई।

इस प्रकार, राजकीय उपक्रमों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के साथ-साथ कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति व योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 की अनुपालना सुनिश्चित नहीं

56 राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड एवं राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (**अनुबंध 3.1** के क्रमांक 4 तथा 7)

की थी।

मंडल में महिला निदेशक

3.7 अधिनियम, 2013 की धारा 149 (2) सपठित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति व योग्यता) नियम, 2014 का नियम 3 में (i) प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी, (ii) प्रत्येक अन्य सार्वजनिक कंपनी जिसमें (अ) एक सौ करोड़ या अधिक की प्रदत्त पूंजी अथवा (ब) तीन सौ करोड़ या अधिक का टर्नओवर हो, कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति का प्रावधान है। साथ ही, महिला निदेशक की किसी भी आंतरायिक रिक्ति को बोर्ड द्वारा अतिशीघ्र परन्तु तत्काल आगामी बोर्ड बैठक के बाद अथवा ऐसी रिक्ति की दिनांक से तीन माह, जो भी बाद में हो, से पूर्व भरा जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2020-21 के दौरान 19 राजकीय उपक्रमों, जैसा कि **अनुबंध 3.1** में दर्शाया गया है, द्वारा महिला निदेशको की नियुक्ति किया जाना आवश्यक था। इन 19 राजकीय उपक्रमों में से 13 राजकीय उपक्रमों में सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कम से कम एक महिला निदेशक रही थी, जैसा कि **तालिका 3.2** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.2: वर्ष 2020–21 के दौरान कम से कम एक महिला निदेशक वाले राजकीय उपक्रम

क्रम संख्या	राजकीय उपक्रमों के नाम
1.	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
2.	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
3.	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
4.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
5.	गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड
6.	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
7.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड
8.	राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड
9.	राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड
10.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड
11.	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड
12.	कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड
13.	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड

स्रोतः राजकीय उपक्रमों द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर संकलित।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एक राजकीय उपक्रम यथा राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड में सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान महिला निदेशक नहीं थी एवं दो राजकीय उपक्रमों (उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड तथा राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड) में पूर्व महिला निदेशको का कार्यकाल क्रमशः 5 जुलाई 2020 एवं 31 अक्टूबर 2020 को समाप्त होने के बाद नई महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की थी। साथ ही, एक राजकीय उपक्रम यथा बाड़मेर लिग्नाइट खनन कंपनी लिमिटेड ने महिला निदेशक की रिक्ति को निर्धारित समयावधि

के भीतर भरकर नियम 3 के प्रावधान की अनुपालना सुनिश्चित की। लेखापरीक्षा ने देखा कि दो राजकीय उपक्रमों यथा जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड ने महिला निदेशक की रिक्ति को क्रमशः छः माह एवं 15 माह के विलंब से भरा था।

स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति एवं कार्यप्रणाली

नियुक्ति के औपचारिक पत्र को जारी करना एवं सामान्य सभा में अनुमोदन

3.8 कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV के अनुसार, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का अनुमोदन अंशधारको की बैठक (साधारण सभा) में होगा। साथ ही, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति औपचारिक नियुक्ति पत्र, जिसमें नियुक्ति के नियमों एवं शर्तों को व्यक्त किया जायेगा, के माध्यम से की जायेगी। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के नियमों एवं शर्तों को कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना भी आवश्यक है।

दो राजकीय उपक्रमों (राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड एवं राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड) ने 2020-21 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की। लेखापरीक्षा ने देखा कि राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड ने नियुक्ति का अनुमोदन साधारण सभा में नहीं करवाया था एवं नियुक्त किये गये स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्ति के नियम एवं शर्तों के संबंध में जारी किए गये औपचारिक पत्र अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

स्वतंत्र निदेशकों का प्रशिक्षण

3.9 कंपनी अधिनियम की अनुसूची IV (अनुच्छेद III (1)- स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्य) के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों को यथोचित प्रशिक्षण लेना चाहिए एवं अपने कौशल, ज्ञान तथा कंपनी के बारे में जानकारी को नियमित रूप से तरोताजा एवं अद्यतन रखना चाहिए। तथापि, लेखपरीक्षा ने देखा कि दो[57] राजकीय उपक्रमों के सिवाय किसी भी राजकीय उपक्रम ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, बोर्ड में विद्यमान स्वतंत्र निदेशकों को इस प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया था।

कंपनी के बोर्ड, बोर्ड समितियों एवं साधारण सभा की बैठकों में भाग लेना

3.10 अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV (III) (3) में यह प्रावधान है कि स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल एवं बोर्ड समितियों, जिनमें वह सदस्य है, की समस्त बैठकों में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए।

अ बोर्ड की बैठक

स्वतंत्र निदेशकों, जो कि बैठक के समय बोर्ड में विद्यमान थे, की उपस्थिति की स्थिति कों **तालिका 3.3** में दर्शाया गया है।

57 राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड एवं उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड

तालिका 3.3: बोर्ड की बैठकों में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति

क्रम संख्या	राजकीय उपक्रम का नाम	बोर्ड की बैठकों की संख्या	आईडी की 100% उपस्थिति वाली बैठकों की संख्या
1.	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	3	3
2.	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	3	3
3.	राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड	2	0
4.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	3	1
5.	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	1	1
6.	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	4	2
7.	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	4	2
8.	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	1	1
9.	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड	2	1
10.	बाड़मेर लिग्नाईट खनन कम्पनी लिमिटेड (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 के तहत राजकीय उपक्रम को आईडी नियुक्त किया जाना आवश्यक नहीं है।	1	1

स्रोतः राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि स्वतंत्र निदेशकों की 100 प्रतिशत उपस्थिति मात्र 63 प्रतिशत बोर्ड बैठकों में रही थी। साथ ही, राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड के बोर्ड में नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों ने बोर्ड बैठकों में उपस्थित नही होकर हितधारकों की ओर से उनको सौंपी गयी भूमिका को महत्व नहीं दिया था।

ब बोर्ड समितियों की बैठक

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति– लेखापरीक्षा ने उन कंपनियों में भी स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति की समीक्षा की, जिनमे गठित सीएसआर समितियों की 2020-21 के दौरान बैठकें आयोजित की गई थीं एवं बैठक के समय स्वतंत्र निदेशक बोर्ड में विद्यमान थे। सीएसआर समिति में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति को **तालिका 3.4** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.4: सीएसआर समिति की बैठकों में आईडी की उपस्थिति

क्रम संख्या.	राजकीय उपक्रम का नाम	बैठक की दिनांक	बोर्ड में आईडी की संख्या	उपस्थित आईडी की संख्या
1.	राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड	25.03.2021	2	0
2.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	25.03.2021	2	1
3.	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	05.03.2021	2	1

स्रोतः राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

यह देखा जा सकता है कि राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड में दोनों स्वतंत्र निदेशक सीएसआर समिति की बैठक में अनुपस्थित रहे जबकि दो राजकीय उपक्रमों (क्रम संख्या 2 एवं 3) में केवल एक स्वतंत्र निदेशक ने बैठक में भाग लिया था।

लेखापरीक्षा समिति– वित्तीय वर्ष 2020-21 में आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के दौरान बोर्ड में विद्यमान स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति की स्थिति को **तालिका 3.5** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.5: लेखापरीक्षा समिति में आईडी की उपस्थिति

क्रम संख्या	राजकीय उपक्रम का नाम	बैठक की दिनांक	बोर्ड में आईडी की संख्या	उपस्थित आईडी की संख्या
1.	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	29.06.2020	1	1
2.	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	29.06.2020	1	1
3.	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	23.10.2020	2	2
4.	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	08.10.2020	1	1
		02.11.2020	1	1
5.	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	09.09.2020	1	0
6.	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड	28.07.2020	2	2
		05.01.2021	2	2
7.	बाड़मेर लिग्नाईट खनन कम्पनी लिमिटेड	23.11.2020	3	3
8.	राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड	23.10.2020	2	1
9.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	17.09.2020	2	1
		04.12.2020	2	2

स्रोतः राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

स. साधारण सभा

अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV (III) (5) में प्रावधान है कि स्वतंत्र निदेशक को कंपनी की समस्त साधारण सभाओं में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) के आयोजन के समय 6 राजकीय उपक्रमों के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक विद्यमान थे। 2020-21 में आयोजित वार्षिक साधारण सभा (एजीएम), राजकीय उपक्रमों के बोर्ड में विद्यमान स्वतंत्र निदेशकों की संख्या एवं स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जिन्होने सभा में भाग लिया का विवरण **तालिका 3.6** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.6: वार्षिक साधारण सभा में आईडी की उपस्थिति

क्रम संख्या.	राजकीय उपक्रम का नाम	एजीएम की दिनांक	बोर्ड में आईडी की संख्या	बैठक में उपस्थित आईडी की संख्या
1.	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	12.02.2021	2	1
2.	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	23.12.2020	1	0
3.	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड	23.03.2021	2	1
4.	राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड	11.12.2020	2	1
5.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	29.12.2020	2	1
6.	बाड़मेर लिग्नाईट खनन कम्पनी लिमिटेड	02.03.2021	3	1

स्रोत :राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक एजीएम में शामिल नहीं हुए जबकि शेष पांच राजकीय उपक्रमों (क्र.सं. 1, 3, 4, 5 एवं 6) में स्वतंत्र निदेशकों की भागिता कम रही। साथ ही, किसी भी राजकीय उपक्रम ने स्वतंत्र निदेशकों की पूर्ण उपस्थिति के साथ एजीएम आयोजित नहीं की थी।

स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक

3.11 अधिनियम 2013 की अनुसूची IV (VII) (1) के अनुसार, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों को गैर-स्वतंत्र निदेशकों एवं प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बैठक आयोजित करना चाहिए। साथ ही, कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों को गैर-स्वतंत्र निदेशकों एवं सम्पूर्ण बोर्ड के कार्य-निष्पादन की समीक्षा हेतु ऐसी बैठक में उपस्थित होने का प्रयास करना चाहिए। कार्यकारी निदेशकों एवं गैर-कार्यकारी निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के अध्यक्ष के कार्य निष्पादन की भी समीक्षा की जायेगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2020-21 के दौरान 6 राजकीय उपक्रमों, जहाँ एक से अधिक स्वतंत्र निदेशक बोर्ड में विद्यमान थे, में से केवल एक राजकीय उपक्रम अर्थात राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशकों ने 31 मार्च 2021 को पृथक बैठक का आयोजन किया था, जबकि शेष 5 राजकीय उपक्रमों के स्वतंत्र निदेशकों ने 2020-21 के दौरान किसी पृथक बैठक का आयोजन नहीं किया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पृथक बैठकों के अभाव में, 6 राजकीय उपक्रमों के बोर्ड में विद्यमान स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, यथा गैर-स्वतंत्र निदेशकों, अध्यक्ष एवं सम्पूर्ण बोर्ड के कार्य निष्पादन की समीक्षा, का मुख्य उद्देश्य पूर्णतः विफल हो गया था। साथ ही, अनुसूची IV (VII) (3) (स) के अनुसार, बोर्ड को अपने कर्तव्यों का प्रभावी एवं यथोचित रूप से पालन करने के

लिये आवश्यक, कंपनी प्रबंधन एवं बोर्ड के मध्य सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा एवं समयबद्धता भी सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के पदों को भरना

3.12 अधिनियम 2013 की धारा 203(1) में प्रावधान है कि प्रत्येक ऐसी कम्पनी, जो कि कंपनी की निर्धारित श्रेणी या श्रेणियों से संबंधित है, में पूर्णकालिक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) अर्थात (i) प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अथवा प्रबंधक एवं उनकी अनुपस्थिति में एक पूर्णकालिक निदेशक; (ii) कंपनी सचिव; एवं (iii) मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) होने चाहिए। साथ ही, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति व पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 8 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी एवं दस करोड़ अथवा उससे अधिक रूपये की प्रदत्त पूंजी वाली प्रत्येक अन्य सार्वजनिक कंपनी में पूर्णकालिक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक होने चाहिए। अधिनियम, 2013 की धारा 203(4) में आगे यह प्रावधान है कि यदि किसी भी पूर्णकालिक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का पद रिक्त हो जाता है, तो संबंधित रिक्ति को बोर्ड द्वारा ऐसी रिक्ति की दिनांक से छह महीने की अवधि के अंदर बोर्ड की बैठक में भरा जायेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 24 राजकीय उपक्रमों, जैसा की **अनुबंध 3.1** में दर्शाया गया है, की प्रदत्त पूंजी उनके नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक थी। अतः इन कंपनियों को पूर्णकालिक केएमपी नियुक्त करने की आवश्यकता थी। इन 24 राजकीय उपक्रमों में से **तालिका 3.7** में दर्शाये गए चार राजकीय उपक्रमों को छोड़कर 20 राजकीय उपक्रमों में पूर्णकालिक केएमपी नियुक्त किये गये थे।

तालिका 3.7: केएमपी की नियुक्ति की स्थिति

क्रम संख्या	राजकीय उपक्रम का नाम	केएमपी की स्थिति
1.	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	कंपनी सचिव का पद छह माह से अधिक समय से रिक्त था।
2.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	
3.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2020-21 के दौरान कंपनी सचिव का पद रिक्त था।
4	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2020-21 के दौरान पूर्णकालिक कंपनी सचिव की नियुक्ति नहीं की गयी थी।

स्रोत :राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

साथ ही, केएमपी की रिक्तियों को भरे जाने से संबंधित अभिलेखो की समीक्षा से प्रकट हुआ कि उपरोक्त तालिका में वर्णित राजकीय उपक्रमों के अलावा केएमपी रिक्तियां, जो 2020-21 के दौरान उत्पन्न हुई, को इस प्रकार की रिक्तियों की दिनांक से छः माह के भीतर भर दिया गया था।

निदेशक मंडल की बैठक

3.13 अधिनियम, 2013 की धारा 173 (1) के अनुसार, प्रत्येक कंपनी अपने समामेलन की तिथि से तीस दिनों के भीतर निदेशक मंडल (बीओडी) की प्रथम बैठक का आयोजन करेगी एवं इसके पश्चात, प्रत्येक वर्ष बीओडी की न्यूनतम चार बैठकें इस तरह से आयोजित की जायेगी कि बोर्ड की निरंतर दो बैठकों के मध्य एक सौ बीस दिन से अधिक का अंतराल न हो।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (24 मार्च 2020) ने बीओडी की बैठकों को आयोजित करने हेतु धारा 173 में दिये गये अंतराल में 60 दिनों का विस्तार एक मुश्त छूट के रूप में अगली दो तिमाहियों अर्थात सितंबर 2020 तक प्रदान किया है।

प्रत्येक राजकीय उपक्रम द्वारा वर्ष 2020 के दौरान आयोजित बीओडी बैठकों की संख्या का विवरण **अनुबंध 3.1** में दिया गया है। यह देखा जा सकता है कि 41 राजकीय उपक्रमों में से 18[58] राजकीय उपक्रम वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान चार बीओडी बैठकों का आयोजन करने में विफल रहे थे, जबकि छह[59] राजकीय उपक्रमों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बीओडी की मात्र एक बैठक का आयोजन किया था। साथ ही, राजकीय उपक्रमों का विवरण, जिनमें बीओडी की दो बैठकों के मध्य समयान्तराल 120/180 दिनों की निर्धारित समय सीमा से अधिक था, को **तालिका 3.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.8: बीओडी की निरंतर दो बैठकों के आयोजन करने में विलम्ब

क्रम	राजकीय उपक्रम का नाम	बैठक की दिनांक	अगली बैठक की दिनांक	अंतराल की अवधि (दिनों में)
1	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	31.10.2019	13.10.2020	348
2	बाड़मेर लिग्नाईट खनन कम्पनी लिमिटेड	19.11.2019	28.10.2020	346
3	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड	09.12.2019	08.06.2020	182
		08.06.2020	22.03.2021	256
4	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	09.12.2019	10.06.2020	183
5	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	18.06.2020	26.10.2020	130
6	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	10.12.2019	16.10.2020	311
7	जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	29.08.2019	22.01.2020	146
		22.01.2020	10.09.2020	232
8	अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	11.11.2019	16.03.2020	127

58 क्रम संख्या. 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 39, 40 व 41।

59 क्रम संख्या. 10, 18, 25, 31, 39 व 40।

		22.07.2020	30.12.2020	161
9	कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	14.08.2019	02.09.2020	385
10	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	31.12.2019	29.09.2020	272
11	राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड	31.10.2019	05.08.2020	279
		05.08.2020	26.03.2021	233
12	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड	17.08.2019	29.01.2020	165
		29.01.2020	29.07.2020	182
		29.07.2020	15.01.2021	170
13	राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	19.12.2019	29.07.2020	222
		27.10.2020	07.06.2021	223
14	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	25.06.2020	18.11.2020	146
15	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	25.06.2020	09.11.2020	137

स्रोत :राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

साथ ही, अधिनियम 2013 की धारा 173 (3) में प्रावधान है कि बोर्ड की बैठक बुलाने हेतु प्रत्येक निदेशक को कम से कम सात दिवस पूर्व लिखित में नोटिस कंपनी के पास उसके पंजीकृत पते पर भेजना चाहिए एवं ऐसे नोटिस की सुपुर्दगी व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा भेजनी होगी। नोटिस एवं बैठकों के दिनांक की समीक्षा से उजागर हुआ कि निम्नलिखित 13 राजकीय उपक्रमों ने सात दिवस का नोटिस दिये बिना ही बीओडी की बैठकें आयोजित की थी।

तालिका 3.9: कम अवधि के नोटिस द्वारा आहूत की गई बोर्ड बैठकों का विवरण

क्रम सं	राजकीय उपक्रम का नाम	नोटिस की तिथि	बोर्ड की बैठक की तिथि
1	गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड	16.06.2020	19.06.2020
		12.10.2020	16.10.2020
		18.12.2020	22.12.2020
		24.12.2020	29.12.2020
2	धौलपुर गैस ऊर्जा लिमिटेड	16.06.2020	19.06.2020
		25.09.2020	29.09.2020
		24.12.2020	29.12.2020
3	छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड	16.06.2020	19.06.2020
		25.09.2020	29.09.2020
		24.12.2020	29.12.2020
4	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	22.06.2020	25.06.2020
		21.10.2020	22.10.2020
		23.12.2020	24.12.2020
5	अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	11.03.2020	16.03.2020

6	राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड	11.11.2020	12.11.2020
7	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड	27.01.2020	29.01.2020
		25.07.2020	29.07.2020
8	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	04.11.2020	09.11.2020
9	राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड	11.12.2020	16.12.2020
10	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	21.12.2020	24.12.2020
11	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड	03.02.2020	05.02.2020
12	राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड	08.06.2020	12.06.2020
13	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	02.12.2020	04.12.2020

स्रोत राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

लेखापरीक्षा समिति एवं बोर्ड की अन्य समितियां

लेखापरीक्षा समिति का गठन एवं संरचना

3.14 अधिनियम, 2013 की धारा 177(1) एवं कंपनी (बोर्ड की बैठक एवं इसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 6 के अनुसार प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी एवं समस्त सार्वजनिक कंपनियों, संयुक्त उद्यम कंपनियों एवं पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के अतिरिक्त, जिनकी प्रदत्त पूंजी ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक अथवा टर्नओवर ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक अथवा बकाया ऋण या उधार या ऋणपत्र या जमा समग्र रूप से ₹ 50 करोड़ या उससे अधिक है, को लेखापरीक्षा समिति का गठन करना होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कुल 41 राजकीय उपक्रमों में से 26 राजकीय उपक्रमों, जैसा कि **अनुबंध 3.1** में दर्शाया गया है, जिनके बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक थे, को लेखापरीक्षा समिति का गठन करना आवश्यक था। लेखापरीक्षा ने देखा कि राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड एवं कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड को छोड़कर समस्त राजकीय उपक्रमों में 31 मार्च 2021 को लेखापरीक्षा समिति गठित थीं।

लेखापरीक्षा समिति की संरचना

3.15 अधिनियम, 2013 की धारा 177(2) प्रावधान करती है कि लेखापरीक्षा समिति में न्यूनतम तीन निदेशक होने चाहिए जिनमें स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत होगा। साथ ही, लेखापरीक्षा समिति में इसके अध्यक्ष सहित सदस्यों का बहुमत वित्तीय विवरण को पढ़ने एवं समझने की क्षमता वाले व्यक्तियों का होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि दो राजकीय उपक्रमों (आरएसएचडीसीएल एवं केएससीएल) ने लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया था। शेष 24 राजकीय उपक्रमों में, जिनमें लेखापरीक्षा समिति गठित थीं, एक राजकीय उपक्रम यथा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड को छोड़कर समस्त राजकीय उपक्रमों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान

अपनी लेखापरीक्षा समिति में न्यूनतम तीन निदेशकों के मापदंड को पूर्ण किया था।

साथ ही, स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत केवल पाँच[60] राजकीय उपक्रमों में पाया गया था जबकि शेष 19 राजकीय उपक्रमों (राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड सहित जिसकी लेखापरीक्षा समिति में पाँच निदेशक हैं परन्तु 2020-21 के दौरान कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था) में स्वतंत्र निदेशक बहुमत में नहीं पाये गये थे।

लेखापरीक्षा समिति हेतु निर्देश-निबंधन

3.16 अधिनियम 2013 की धारा 177(4) में प्रावधान है कि प्रत्येक लेखापरीक्षा समिति बोर्ड द्वारा लिखित में विनिर्दिष्ट निर्देश-निबंधन (टीओआर) के अनुसार कार्य करेगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 24 राजकीय उपक्रमों (आरएसएचडीएल एवं केएससीएल को छोड़कर), जिनमें लेखापरीक्षा समिति का गठन किया था, में से मात्र 14 राजकीय उपक्रमों, जैसा कि **तालिका 3.10** में दर्शाया गया है, में उनसे संबंधित बोर्ड द्वारा टीओआर का अनुमोदन किया गया था।

तालिका 3.10: राजकीय उपक्रम जहाँ लेखापरीक्षा समिति के निर्देश-निबंधन अनुमोदित है

क्रम सं	राजकीय उपक्रम का नाम
1.	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
2.	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
3.	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड
4.	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
5.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड
6.	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड
7.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
8.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड
9.	राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड
10.	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड
11.	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
12.	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड
13.	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
14	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

स्रोत :राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

टीओआर की समीक्षा से उजागर हुआ कि इन सभी राजकीय उपक्रमों (राजकीय उपक्रम क्रम

60 राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढ़ांचागत निगम लिमिटेड, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य स्वान एवं स्वनिज लिमिटेड।

संख्या 8 एवं 10 को छोड़कर) ने धारा 177(4) में विनिर्दिष्ट समस्त बिंदुओ को सम्मिलित किया था।

राजकीय उपक्रमों जिनमें उनके संबंधित बोर्ड द्वारा लेखापरीक्षा समिति की टीओआर का अनुमोदन नहीं किया गया था, को **तालिका 3.11** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.11: राजकीय उपक्रम जिनमें लेखापरीक्षा समिति की टीओआर का अनुमोदन नहीं किया गया

क्रम सं	राजकीय उपक्रम का नाम
1.	राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड
2.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड
3.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
4.	राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड
5.	राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड
6.	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड
7.	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड
8.	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड
9.	जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड
10.	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड

स्रोतः राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

लेखापरीक्षा समिति के कार्यकलापों की समीक्षा

3.17 अधिनियम, 2013 की धारा 177(4) में विनिर्दिष्ट निर्देश-निबंधन में अन्य बातों के साथ (i) लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता की समीक्षा एवं निगरानी तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया का निष्पादन एवं प्रभावशीलता, (ii) वित्तीय विवरण एवं उन पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की जांच, (iii) आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों एवं जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन भी सम्मिलित है। साथ ही, अधिनियम, 2013 की धारा 177(5) प्रावधान करती है कि लेखापरीक्षा समिति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुतीकरण से पूर्व लेखापरीक्षकों से आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, लेखापरीक्षकों की आपत्तियों सहित लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं वित्तीय विवरणों की समीक्षा के संबंध मे टिप्पणियां मांग सकती है तथा आंतरिक व सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कंपनी प्रबंधन के साथ किसी संबंधित मुद्दे पर चर्चा भी कर सकती है

राजकीय उपक्रमों द्वारा आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का विवरण **अनुबंध 3.1** में दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान एक राजकीय उपक्रम यथा राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड ने लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की थी। यह आंकलन करने हेतु कि क्या गठित लेखापरीक्षा समितियों ने अनुमोदित टीओआर के अनुसार कार्य किया, 2020-21 के दौरान हुई लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त का

विश्लेषण किया गया। था लेखापरीक्षा विश्लेषण में उजागर हुआ कि केवल पाँच[61] राजकीय उपक्रमों की लेखापरीक्षा समितियों ने राजकीय उपक्रमों में विद्यमान आंतरिक नियंत्रण तंत्र का मूल्यांकन किया था, जबकि किसी भी राजकीय उपक्रमों की लेखापरीक्षा समिति ने लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता एवं निष्पादन का मूल्यांकन नहीं किया था।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

3.18 अधिनियम 2013 की धारा 178(1) एवं कंपनी (बोर्ड की बैठक एवं इसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 6 के अनुसार प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी एवं समस्त सार्वजनिक कंपनियों, संयुक्त उद्यम कंपनियों एवं पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के अतिरिक्त, जिनकी प्रदत्त पूंजी ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक अथवा टर्नओवर ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक अथवा बकाया ऋण या उधार या ऋणपत्र या जमा समग्र रूप से ₹ 50 करोड़ या उससे अधिक है, को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन करना होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 26 राजकीय उपक्रमों, जैसा कि **अनुबंध 3.1** में दर्शाया गया है, को एनआरसी का गठन करना आवश्यक था। तथापि, 31 मार्च 2021 को निम्नलिखित दस राजकीय उपक्रमों ने एनआरसी का गठन नहीं किया थाः

तालिका 3.12: राजकीय उपक्रमों जिन्होंने एनआरसी का गठन नहीं किया

क्रम सं	राजकीय उपक्रम का नाम
1.	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड
2.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
3.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड
4.	राजस्थान राज्य स्वान एवं स्वनिज लिमिटेड
5.	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड
6.	कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड
7.	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड
8.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
9.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड
10.	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड

स्रोत :राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

अधिनियम 2013, में आगे यह प्रावधान है कि एनआरसी में तीन या उससे अधिक गैर-कार्यकारी निदेशक होने चाहिए, जिसमें कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। कंपनी के अध्यक्ष (कार्यकारी अथवा गैर कार्यकारी) को एनआरसी का सदस्य नियुक्त किया जा सकता

61 राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड, राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड

है किन्तु वह इस समिति की अध्यक्षता नहीं करेगा।

16 राजकीय उपक्रमों में गठित एनआरसी के विश्लेषण से उजागर हुआ कि एनआरसी की संरचना (आरएसबीसीएल, आरएसजीएसएमएल तथा रेक्सको को छोड़कर) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार नहीं थी, जैसा कि **तालिका 3.13** में सार प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 3.13: राजकीय उपक्रमों में 31 मार्च 2021 को एनआरसी की संरचना

क्रम संख्या	राजकीय उपक्रम का नाम	संरचना एवं टिप्पणियाँ
1.	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	तीन गैर कार्यकारी सदस्य, किन्तु कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं।
2.	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	तीन गैर कार्यकारी सदस्य, किन्तु कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं।
3.	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	तीन गैर कार्यकारी सदस्य, किन्तु कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं।
4.	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	एक स्वतंत्र निदेशक सहित तीन गैर-कार्यकारी सदस्य
5.	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	गैर-कार्यकारी सदस्यों की निर्धारित संख्या के बजाय तीन कार्यकारी एवं एक स्वतंत्र निदेशक। स्वतंत्र निदेशक के पास बहुमत नहीं था।
6.	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	तीन गैर कार्यकारी सदस्य, किन्तु कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं।
7.	राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड	दो स्वतंत्र निदेशक सहित तीन गैर-कार्यकारी सदस्य
8.	राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड	तीन गैर कार्यकारी सदस्य, किन्तु कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं।
9.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	दो स्वतंत्र निदेशक सहित तीन गैर-कार्यकारी सदस्य।
10.	राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड	दो स्वतंत्र निदेशक सहित चार गैर-कार्यकारी सदस्य।
11.	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	चार गैर-कार्यकारी निदेशक एवं एक कार्यकारी निदेशक। कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं।
12.	राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	तीन गैर-कार्यकारी सदस्य एवं एक कार्यकारी सदस्य। कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं।
13.	जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	तीन गैर कार्यकारी सदस्य, किन्तु कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं।
14.	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	तीन गैर कार्यकारी सदस्य, किन्तु कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं।
15.	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	तीन गैर कार्यकारी सदस्य, किन्तु कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं।
16.	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	तीन गैर कार्यकारी सदस्य, किन्तु कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं।

स्रोतः राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राजकीय उपक्रमों ने एनआरसी का गठन करते समय कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों की अनुपालना नहीं की थी।

हितधारकों संबंधी समिति

3.19 अधिनियम 2013 की धारा 178 (5) में प्रावधान है कि एक कंपनी जिसमें किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय पर एक हजार से अधिक शेयरधारक, डिबेंचर-धारक, निक्षेप-धारक एवं किसी अन्य प्रतिभूति धारक हो, का निदेशक मण्डल एक हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) का गठन करेगा, जिसमे एक अध्यक्ष जोकि गैर कार्यकारी निदेशक होगा एवं बोर्ड द्वारा विनिश्चित अन्य सदस्य होंगे। साथ ही, अधिनियम 2013 की धारा 178 (6) में प्रावधान है कि एसआरसी कंपनी के प्रतिभूति धारको की शिकायतों पर विचार करेगी एवं उनका समाधान करेगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि केवल एक राजकीय उपक्रम यथा राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड, जिसमें 4342 सदस्य थे, ने एसआरसी का गठन/पुनर्गठन (सितंबर 2015/मार्च 2021) किया था, तथापि, 2020-21 में एसआरसी की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी क्योंकि इस अवधि के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

व्हिसल ब्लोअर तंत्र (डबल्यूबीएम)

3.20 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177(9) सपठित कंपनी (बोर्ड की बैठक एवं इसकी शक्तियाँ) नियम 7 में प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी; जनता से जमा स्वीकार करने वाली कंपनियों, बैंकों एवं सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओ से ₹ 50 करोड़ से अधिक उधार लेने वाली कंपनियों को अनैतिक व्यवहार, संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिकता नीति के उल्लंघन के बारे में वास्तविक समुत्थानों एवं शिकायतों को प्रतिवेदित करने हेतु अपने निदेशकों एवं कर्मचारियों के लिए सचेतक तंत्र की स्थापना करनी होगी। यह ऐसे तंत्र का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2020-21 के दौरान 11[62] राजकीय उपक्रमों, जिन्होंने ₹ 50 करोड़ अथवा अधिक का उधार लिया था, को व्हिसल ब्लोअर तंत्र (डबल्यूबीएम) की स्थापना करना आवश्यक था। तथापि, दो राजकीय उपक्रमों, जैसा कि **तालिका 3.14** में दर्शाया गया है, ने व्हिसल ब्लोअर तंत्र की स्थापना नहीं की थी।

तालिका 3.14: व्हिसल ब्लोअर तंत्र का कार्यान्वयन

क्रम सं	राजकीय उपक्रम का नाम
1.	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड
2.	गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड

स्रोत राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

62 जैसा कि अनुबंध 3.1 के क्रम सं. 1 से 5, 15 से 17, 22, 37 एवं 40 पर वर्णित।

आंतरिक लेखापरीक्षा ढांचा

आंतरिक लेखापरीक्षा की भूमिका

3.21 आंतरिक लेखापरीक्षक संस्थान (आईआईए) ने आंतरिक लेखापरीक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया हैः ''एक स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ आश्वासन एवं परामर्श गतिविधि जिसे मूल्य संवर्द्धन एवं संगठन के संचालन में सुधार हेतु रूपरेखित किया गया है। आंतरिक लेखापरीक्षा गतिविधि संगठन में जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण एवं संचालन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन एवं सुधार करने के लिए एक व्यवस्थित, अनुशासित दृष्टिकोण लाकर इसके उद्देश्यों को पूर्ण करने में सहायता करती है।'' तदनुसार, आंतरिक लेखापरीक्षा की भूमिका यह स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करना है कि संगठन का जोखिम प्रबंधन, अभिशासन एवं आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है।

आईसीएआई द्वारा निर्गमित आंतरिक लेखापरीक्षा को शासित करने वाला ढांचा आंतरिक लेखापरीक्षा को, अभिशासन को प्रोन्नत करने एवं संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आंतरिक नियंत्रण एवं जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता के संबंध में एक निष्पक्ष आश्वासन के रूप में परिभाषित करता हैं।

विधिक ढांचा

3.22 अधिनियम, 2013 की धारा 138 (1) सपठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 का नियम 13 प्रावधान करता है कि (अ) प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी, (ब) प्रत्येक गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी, जिसकी प्रदत्त अंशपूंजी ₹ 50 करोड़ या अधिक अथवा गत वित्तीय वर्ष के दौरान टर्नओवर ₹ दो सौ करोड़ या अधिक अथवा गत वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय बिन्दु पर बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से ₹ एक सौ करोड़ या अधिक का बकाया ऋण या उधारियाँ अथवा ₹ पच्चीस करोड़ से अधिक की बकाया जमा रही है, को कंपनी के कार्यों एवं गतिविधियों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति करना आवश्यक होगा, जो कि या तो सनदी लेखाकार अथवा लागत लेखाकार हो सकता है अथवा ऐसा अन्य पेशेवर होगा जिसे बोर्ड द्वारा निश्चित किया जाये।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 24 राजकीय उपक्रमों, जैसा कि **अनुबंध 3.2** में दर्शाया गया है, को आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करनी थी। इन 24 राजकीय उपक्रमों में से दो[63] राजकीय उपक्रमों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं की थी। शेष

63 राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

22 राजकीय उपक्रमों, जिनमें आंतरिक लेखापरीक्षकों नियुक्त किए गये थे, में से 15 राजकीय उपक्रमों में आंतरिक लेखापरीक्षा सनदी लेखाकार फर्मों द्वारा जबकि शेष सात राजकीय उपक्रमों में यह अन्य आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई थी। अन्य आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा सम्पन्न की गई आंतरिक लेखापरीक्षा का विवरण **तालिका 3.15** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.15: राजकीय उपक्रम जिनमे आतंरिक लेखापरीक्षा अन्य आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी

क्र सं.	राजकीय उपक्रम का नाम	आंतरिक लेखापरीक्षक
1.	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	58 इकाइयों में से, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा 17 इकाइयों की व्यय लेखापरीक्षा की गयी थी।
2.	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	राजकीय उपक्रम के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा
3.	गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड	राजकीय उपक्रम के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा
4.	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	राजकीय उपक्रम के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा
5.	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	राजकीय उपक्रम के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा
6.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	राजकीय उपक्रम के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा
7.	जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	भारतीय लोक लेखापरीक्षक संस्थान

स्रोत :राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति एवं प्रतिवेदन

3.23 अधिनियम, 2013 की धारा 138 (2) में यह प्रावधान है कि केन्द्र सरकार, आंतरिक लेखापरीक्षा को आयोजित किए जाने एवं बोर्ड को प्रतिवेदित किए जाने के अंतराल एवं तरीके को नियमों द्वारा निर्धारित कर सकती है।

तथापि लेखापरीक्षा ने पाया कि अभी तक नियमों का निर्धारण नहीं किया गया है (मार्च 2021) अतः राजकीय उपक्रमों में आंतरिक लेखापरीक्षा त्रैमासिक, अर्द्ध-वार्षिक एवं वार्षिक आधार पर आयोजित की गई थी। साथ ही, केवल छह राजकीय उपक्रमों ने आंतरिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को बोर्ड को प्रतिवेदित किया था जबकि शेष राजकीय उपक्रमों ने आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को लेखापरीक्षा समिति, निदेशक (वित्त) इत्यादि के स्तर तक ही प्रतिवेदित किया था, जैसा कि **अनुबंध 3.2** में दर्शाया गया है।

निष्कर्ष

कुल 26 राजकीय उपक्रमों जिनमें स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जानी थी, 18 राजकीय उपक्रमों ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की थी जबकि दो राजकीय उपक्रमों में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गयी थी। साथ ही, संपूर्ण वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान एक राजकीय उपक्रम में महिला निदेशक नहीं थी एवं दो राजकीय उपक्रमों ने पूर्व महिला निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी नई महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की थी। दो राजकीय उपक्रमों ने 2020-21 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त किया, तथापि, दोनों राजकीय उपक्रमों द्वारा नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए थे एवं एक राजकीय

उपक्रम ने साधारण सभा में अनुमोदन प्राप्त किए बिना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया था। स्वतंत्र निदेशकों की 100 प्रतिशत उपस्थिति बोर्ड की 63 फीसदी बैठकों में ही थी। पांच राजकीय उपक्रम, जिनमें एक से अधिक स्वतंत्र निदेशक बोर्ड में थे, में स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक आयोजित नहीं की गई थी। चार राजकीय उपक्रमों में पूर्णकालीन मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक नहीं थे। 15 राजकीय उपक्रमों में बोर्ड की निरन्तर दो बैठकों में 127 दिवस एवं 385 दिवस के मध्य का सारभूत विलंब हुआ था। 19 राजकीय उपक्रमों की लेखापरीक्षा समिति में दो-तिहाई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। साथ ही, 19 राजकीय उपक्रमों की लेखापरीक्षा समिति ने आंतरिक नियंत्रण प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन नहीं किया था। दस राजकीय उपक्रमों में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया था, जबकि 13 राजकीय उपक्रमों में एनआरसी की संरचना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं थी। दो राजकीय उपक्रमों में व्हिसल ब्लोअर तंत्र नहीं था। साथ ही, दो राजकीय उपक्रमों ने आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नहीं की थी।

अनुशंसा

राजस्थान सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करे जिससे कि राजकीय उपक्रमों में निगमित प्रशासन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।